

न्यायालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, उम्र 24 वर्ष
निवासी- 447, पटेलों का वास, सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
फर्म:- राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 03/2019

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम

-: निर्णय :-

दिनांक 20 जून, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.7.2018 को समय 2.20 पी.एम. पर फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पहुँचा। डेयरी पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी- 447, पटेलों का वास, सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर है एवं फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु Mixed Milk को बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर कर डेयरी के फ्रिज के चम्बर में बिक्री हेतु मौजूद लगभग 70 लीटर Mixed Milk को एक लीटर के नपने से हिला मिलाकर एक रूप किया व इस एक रूप किये हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं Mixed Milk की कीमत रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) अदा की तथा खरीद रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए

.....पेज दो पर



034
प्रति. जिसस पश्चिम
सिरोही-307001.

न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा Mixed Milk को चार साफ सूखी व खाली शीशीयों में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को कॉर्क से एयर टाइट बन्द किया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-803 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.7.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.7.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ Mixed Milk की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना S-803 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो अपील आवेदन प्रारूप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को प्रस्तुत करे, लेकिन पपाराम ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत

.....पेज तीन पर



प्रति. जिला दूध प्रोड्यूसर्स
सिरौही-307001.

नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को प्रस्तुत कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09.6.2019 को प्रतिवादी पपाराम उस्थित हुआ। प्रतिवादी ने लिखित जवाब पेश कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.7.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो मिक्स मिल्क का सेम्पल जांच हेतु लिया था एवं जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार मिल्क सॉलिड नोट फेट 8.01 प्रतिशत पाया गया है, जो 0.49 प्रतिशत कम है। मैं विभिन्न ग्रामों से दूध इककठा करके डेयरी पर लाकर बेचता हूँ, उस दूध में मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया है। यह मेरी पहली गलती है एवं मेरी डेयरी भी छोटी है। कृपया कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण को समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दिनांक 09.6.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी अभियुक्त की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक स्तर का मिक्स मिल्क का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम ने यह अनुरोध किया कि वह गाँवों दूध इककठा करके लाता है, उसने अपनी तरफ से दूध में कोई मिलावट नहीं की है। दूध में केवल मिल्क सॉलिड नोट फेट की मात्रा ही कम मिली है। दूसरी कोई कमी दूध में नहीं पाई गई है। यह प्रतिवादी की पहली गलती है व प्रतिवादी का व्यापार भी छोटा है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.7.2018 को समय 2.20 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला- सिरौही पर गये। उक्त डेयरी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी- 447, पटेलों का वास, सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

....पेज चार पर



6/11
प्रति. जिला अधिकारी
सिरौही-307001.

2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री अणदाराम पुत्र श्री रुपाराम चौधरी, निवासी- सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर व श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता पपाराम को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी के फ्रिज के चेम्बर में बिक्री हेतु मौजूद लगभग 70 लीटर Mixed Milk को नपने से हिला मिलाकर एक रूप किया व इस एक रूप किये गये Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) विक्रेता पपाराम को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को साफ सूखी व खाली शीशीयां दिखाकर गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम के समक्ष उक्त खरीद शुदा Mixed Milk को चारों शीशीयां में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डाली तथा शीशीयां के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-803, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता पपाराम एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-803 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता पपाराम व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता पपाराम, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता पपाराम से खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रतिपेज पांच पर




014
प्रति. विला वसिस्टे
सिरोही-307001.

लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपड़ी से सिलड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.7.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.7.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-803 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./507/Act/2018/526 दिनांक 26.7.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता पपाराम से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी- 447, पटेलों का वास, सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी- 447, पटेलों का वास, सार, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राजेश्वर दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, तहसील- शिवगंज जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।




(मुकेश चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही